# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

**तृतीय सत्र**

**समाचार भाग-1**

**संख्या**: 28

**शुक्रवार**, 31 **अगस्त**, 2018/9 **भाद्रपद**,1940 (**शक्**)

## सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

**समय**: 11.00 **बजे** (**पूर्वाह्न**)

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में** 11.00 **बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।**

## 1. प्रश्नोत्तर

### (I) तारांकित प्रश्न

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 273, 358 व 516 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 772, 773 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः के उत्तर पर अध्यक्ष महोदय ने माननीय ऊर्जा मंत्री से कालाअंब क्षेत्र में बिजली की ट्रिपिंग की समस्या की ओर भी ध्यान देने के लिए कहा।

तारांकित प्रश्न संख्याः 774 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 775 से 803 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

### (II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 93 तथा 168 से 177 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा - "सर, नियम-323 के तहत मेरा पॅवाइंट ऑफ ऑर्डर है। पिछले लगतार 7 दिनों में मेरा एक भी तारांकित प्रश्न नहीं लगा है। जबकि मैंने सबसे पहले 16 तारीख को 21 प्रश्न आपके नोटिस ऑफिस में पहुँचाए थे।"

अध्यक्ष महोदय ने कहा - "नेगी साहब, प्लीज, मैं सारी जानकारी अभी आपके समक्ष रख दूंगा। आप बैठिए, मैं डिटेल्स निकाल कर आप को दे दूँगा। "

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा - "मैं माननीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं । माननीय जगत सिंह नेगी जी ने एक सवाल खड़ा किया, इसलिए मुझे उसका उत्तर देना पड़ गया। पहला तो यह कि ये राऊंड्ज़ की बात कर रहे हैं। शायद नये माननीय सदस्यों को राऊंड के बारे में समझ नहीं आया होगा। राऊंड का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के 2 से ज्यादा प्रश्न एक दिन में नहीं लग सकते और एक भी सदस्य इस सदन का ऐसा नहीं है जिसने प्रश्न दिए और उस का प्रश्न न लगा हो; वह चाहे स्टार्ड है या अनस्टार्ड है।……. आज के प्रश्न आप निकालें तो 3 स्थगित प्रश्न हैं जिन पर चर्चा में 40 मिनट लगे। तीनों के तीनों प्रश्न प्रतिपक्ष से थे।……मैं पिछले 6 साल के मॉनसून सत्रों का हिसाब देय रहा था। आपको यह जानकर आनन्द होगा कि नियम-61 के अन्तर्गत वर्ष 2013 के मॉनसून सत्र में 2 मुद्दे लगे, वर्ष 2014 में एक भी नहीं लगा, वर्ष 2015 में भी कोई नहीं लगा, वर्ष 2016 में भी कोई नहीं लगा और वर्ष 2017 में भी कोई नहीं लगा जबकि इस साल नियम-61 के अन्तर्गत मॉनसून सत्र में 5 मुद्दे चर्चा में आए हैं। जिसमें से 3 मुद्दे आज लगे हैं और तीनों ही प्रतिपक्ष के हैं। वर्ष 2013 से लेकर आज तक जो नियम-62 के अंतर्गत मुद्दे लगे, मैं उन बारे में बताता हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2013 में 2 मुद्दे, वर्ष 2014 में एक भी नहीं लगा, वर्ष 2015 में 2 लगे, वर्ष 2016 में 4 लगे, वर्ष 2017 में शून्य लगा और वर्ष 2018 में 6 मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। मैं इस सदन में 20 साल से हूं और बताना चाहता हूं कि नियम-63 के अंतर्गत केवल एक बार मुद्दा लगा था जबकि इस बार नियम-63 के अंतर्गत 2 मुद्दे लगे हैं। नियम-101 के अंतर्गत कभी भी 2 से ज्यादा मुद्दे नहीं लगे। लेकिन इस बार 2 पर चर्चा हुई और तीसरा इन्ट्रोड्यूस हुआ; नहीं तो एक पर चर्चा होती है तथा दूसरा इन्ट्रोड्यूस होता है। वर्ष 2013 में नियम 324 के अंतर्गत एक भी मुद्दा नहीं लगा। वर्ष 2014 में शून्य, वर्ष 2015 में 3, वर्ष 2016 में शून्य, वर्ष 2017 में शून्य और वर्ष 2018 में 24 मुद्दे लगे। मैंने आपको प्रश्न के बारे में बता दिया है। इससे पहले 4-5 सीटिंग्स हुआ करती थी लेकिन इस बार 7 सीटिंग्स हुई और उसमें भी शाम तक लगतार काम हुआ। मैं माननीय सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के ध्यान में एक और विषय लाना चाहता हूं कि नियम-62 के अंतर्गत एक दिन में केवल 2 मुद्दे लगाने का प्रावधान है लेकिन मैंने माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज नियम को सरपास करते हुए 3 मुद्दे लगाये हैं।"

12.17 **बजे श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने बहिर्गमन किया।**

## 2. <u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

(1) **श्री जय राम ठाकुर**, **मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीं:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 );

(iii) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 1(3) के साथ पठित धारा 29(1) के अन्तर्गत श्री सदाशिव महादेव मन्दिर, ध्यूंसर, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश जोकि अधिसूचना संख्याः एल0सी0डी0-एच0(2)1/2018 दिनांक 02.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2018 को प्रकाशित; और

(iv) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 1(3) के साथ पठित धारा 29(1) के अन्तर्गत श्री कालीनाथ कालेश्वर मन्दिर, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जोकि अधिसूचना संख्याः एल0सी0डी0-एच0(2)2/2018 दिनांक 02.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2018 को प्रकाशित।

(2) **श्री किशन कपूर**, **खाद्य**, **नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री अनिल शर्मा**, **बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **डॉ0 रामलाल मारकण्डा**, **कृषि मन्त्री** ने बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी।

## 3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

(1) **श्रीमती आशा कुमारी**, **सभापति**, **लोक लेखा समिति**, (**वर्ष** 2018-19) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं:-

(i) समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 129वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 143वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के 82वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 180वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री विनोद कुमार**, **सदस्य**, **प्राक्कलन समिति**, (**वर्ष** 2018-19) ने समिति का पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के सप्तम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

## मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

---

माननीय मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में हिमाचल प्रदेश के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए 69 नेशनल हाईवेज़ के अलावा कुल्लू जिला के अन्तर्गत आनी विधान सभा क्षेत्र के लिए एक और नेशनल हाईवे शमशर-दलाश-निथर-नोर-वज़ीर बावडी-ब्रो-काजू खड्ड-झाखड़ी स्वीकृत करने बारे वक्तव्य दिया।

# मंत्री द्वारा वक्तव्य

---

**श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री** ने "हिमाचल प्रदेश की पुरानी ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सम्बर्धन/पुनर्निर्माण की परियोजना" बारे वक्तव्य दिया।

## 4. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

(1) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य** ने नियम-62 के अन्तर्गत दिनांक 13 अगस्त, 2018 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक "**गुम्मा में प्रोसैसिंग प्लांट न लगने की जांच शुरू, कहां खर्चे 17 करोड़ पता लगाएगी विजिलेंस**", से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री नरेन्द्र ब्राक्टा ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्टीकरण दिया।

**1.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।**

**भोजनावकाश के उपरान्त 2.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।**

(2) **श्री राकेश कुमार, सदस्य** ने नियम-62 के अन्तर्गत दिनांक 28 अगस्त, 2018 को दिव्य हिमाचल में प्रकाशित शीर्षक "**बिलासपुर में 17, मण्डी में डेंगू के 13 नए मामले**", से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री राकेश कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

माननीय अध्यक्ष ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को सुझाव देते हुए कहा,"माननीय मंत्री जी मेरा इसमें केवल एक छोटा-सा निवेदन है

कि हमारे 2 मैडिकल कॉलेजों में Blood Separator Units लगे हुए हैं और जो शेष मैडिकल कॉलेज हैं उनमें भी अगर आप Blood Separator Units लगा देंगे तो डेंगू होने पर Platelets Transfusion रोगी को वहीं पर मिल सकेगा और जो मृत्यु की घटनाएं है, उनमें एकदम sharp decline हो सकेगा।"

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा, " अध्यक्ष महोदय, ठीक है।"

(3) **श्री राकेश सिंघा**, ने नियम-62 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया-

"To the situation arising out of exorbitant increase in the school bus fare in Shimla town. The Government may withdraw the steep hike."

माननीय वन मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री राकेश सिंघा ने स्पष्टीकरण मांगा।

वन मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,"माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी इस बात के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक लाभ लेने का कोई विषय नहीं है। यह सबसे जुड़ा हुआ विषय है। बच्चे गरीब के भी हैं, बच्चे अमीर के भी हैं, सभी के हैं। ऐसे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी आगामी कैबिनेट की मीटिंग तक यह जो एच0आर0टी0सी0 की ओर से किराये में बढ़ोतरी का प्रस्ताव बी.ओ.टी. के माध्यम से आया है, इसको हम तब तक के लिए स्थगित करते हैं। उसके बाद इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम अगला निर्णय करेंगे।"

## 5. सांविधिक इकाई हेतु मनोनयन

**श्री सुरेश भारद्वाज**, **शिक्षा मन्त्री** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

(i) "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly are to be elected by the State Legislature for the

term of two years in the Governing Body of Maharaja Agrasen University, Kallujhanda, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

**प्रस्ताव स्वीकार।**

**श्री सुरेश भारद्वाज,शिक्षा मन्त्री** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

(ii) "That in pursuance of Section 18(1)(f) of the Private Universities Act and Section 17(i) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Institute of Charted Financial Analysis of India (ICFAI) Baddi, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

**प्रस्ताव स्वीकार।**

## 6. <u>विधायी कार्य</u>

## सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

**श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री**, ने प्रस्ताव किया कि "**हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 10)" पर विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकार।**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा की एवं स्पष्टीकरण मांगे:-

1. श्री राकेश सिंघा।

2. श्रीमती आशा कुमारी।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,4,5,6,7 और 8 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयकका अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

**माननीय मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "**हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 10)"को पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकार।**

"**हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 10)"**पारित हुआ।**

## 7. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>

सर्वश्री नन्द लाल, पवन नैय्यर, आशीष बुटेल, लखविन्द्र सिंह राणा, जिया लाल, हर्षवर्धन चौहान, नन्द लाल तथा इन्द्र दत्त लखनपाल की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

## 8. <u>नियम-61 के अन्तर्गत चर्चा</u>

(1) **श्री राम लाल ठाकुर**, **सदस्य** ने "दिनांक 23 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 550 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की ।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी**, **सदस्य** ने "दिनांक 23 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 564 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की ।

माननीय उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्रीमती आशा कुमारी ने स्पष्टीकरण मांगा।

उद्योग मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

(3) **श्री विक्रमादित्य सिंह** ने "दिनांक 29 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 722 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की ।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

## सत्र का समापन

**माननीय मुख्य मंत्री ने सत्र की समाप्ति पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा-**

"अध्यक्ष महोदय, 23 अगस्त से 31 अगस्त, 2018 तक आपकी अध्यक्षता में यह मॉनसून सत्र बहुत ही बेहतरीन ढंग से संचालित हुआ। इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारियां सांझा हुई। जहां आशंकाएं थीं, उन शंकाओं का समाधान किया गया। इस सत्र की शुरुआत शोकोद्गार से हुई। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अतिरिक्त विधायी कार्यों में चर्चा हुई और बिल भी पारित हुए। मैं यह कह सकता हूं कि 7 दिनों का यह मॉनसून सत्र बहुत-ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला।

लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और उस अधिकार का सभी माननीय सदस्यों ने उपयोग भी किया। कुछ गर्मजोशी भी हुई लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों ने मिलकर काम किया। चाहे चर्चा की बात हो, प्रश्नकाल की बात हो; यह पूरा सत्र बहुत जीवंत रहा। इस सत्र का संचालन आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। समय के हिसाब से नियमों में जो चर्चाएं की जा सकती थीं, उन चर्चाओं को करने का अवसर सभी माननीय सदस्यों को मिला। मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास किया। हमने मिलकर चर्चा की इसके लिए मैं विपक्ष को बधाई देता हूं। मैं विपक्ष के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने विधायक दल के नेता के साथ-साथ विपक्ष के नेता की भूमिका भी बखूबी निभाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विपक्ष की भूमिका भी जिम्मेवारी की होती है।

जो हमारे स्तर का काम है, वह हम करें और जो विपक्ष के नेता के रूप में आपकी जिम्मेवारी है, उसे आप पूरा करें।"

**श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा-**

"आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सत्र समापन की तरफ अग्रसर हो रहा है, छोटा सत्र था एजंडा बहुत बड़ा था। इस 6-7 दिन के छोटे से इस सत्र के बाद यह सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हो रहा है। अपने-अपने अधिकार हैं, उसके नाते हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपना एजंडा भी चर्चा में ला रहे हैं।

माननीय सदन का संचालन बेहतर तरीके से किया, उसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे तीन साथी, पूर्व मुख्यमन्त्री श्री वीरभद्र सिंह जी सत्र के अन्त में अस्वस्थ हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा । इसी प्रकार हमारे साथी माननीय सदस्य श्री रमेश चन्द ध्वाला जी उनको भी अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री सुजान सिंह पठानिया जी शिमला में होने के बावजूद सदन अटैन्ड नहीं कर पाए क्योंकि वह अस्वस्थ है। आप वहां भी कोपरेट कर रहे है। हमारे तीनों साथी जल्दी से स्वस्थ हों, कुशल हों, यह तीनों हमारे हाऊस की रौनक हैं।

**माननीय अध्यक्ष ने सत्र समाप्ति पर निम्नलिखित उदगार प्रकट किए:-**

"आज मानसून सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है। इस सत्र के दौरान कुल 7 बैठकें आयोजित हुई हैं। अनेक चर्चाएं इस सत्र के दौरान हुई। इस सत्र के दौरान 272 तारांकित तथा 84 अतारांकित; कुल 366 प्रश्न माननीय सदन में प्रस्तुत हुए। नियम-61 के अन्तर्गत 5 विषयों पर, नियम-62 के अन्तर्गत 6 विषयों पर, नियम-63 के अन्तर्गत 2 विषयों पर व नियम-130 के अन्तर्गत 4 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त नियम 101 के अन्तर्गत 2 विषयों पर चर्चा हुई और तीसरा विषय प्रस्तुत हुआ। माननीय सदस्यों ने इसमें अपने बहुमूल्य सुझाव दिये. 2 सरकारी विधेयक भी सभा में चर्चा उपरान्त पारित हुए। नियम-324 के अन्तर्गत 24 विशेष उल्लेखों पर उत्तर दिए गए। सभा की समितियों ने भी 49 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त 3 महत्वपूर्ण वक्तव्य भी इस सत्र के दौरान माननीय सदन में आए।

यह ठीक है कि यह छोटा सत्र था परन्तु छोटा होने के बावजूद अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। मुझे आज सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री, श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना है। इनके आदेश पर पूरी सरकार ने और अधिकारियों ने, जितने

प्रश्न आए, सबके उत्तर भेजे। जितनी चर्चाए आईं और जो लगीं उनके उत्तर भी आए और जो नहीं लगीं उनके उत्तर भी आए।

मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का और इनको बधाई भी देता हूं कि इस बार माननीय सदन में इन्हें नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला है। नेता प्रतिपक्ष के नाते इन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया है। मैं माननीय विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रातः ठीक कहा था कि माननीय सदस्य, चाहे वह सत्ता पक्ष के थे या प्रतिपक्ष के थे, बहुत से विषय उन्होंने इस बार दिए हैं। मैंने भी 20 साल के अन्दर इतने विषय आते नहीं देखे। जितने विषय हमने सरकार को भेजे, सरकार ने सारे विषयों का उत्तर दिया। जितना समय हमें मिला, उतने विषय हमने माननीय सदन में लगाने प्रयास किया।

आज शुक्रवार है और इस मानसून सत्र का अन्तिम दिन भी है। सभी माननीय विधायकों को वापिस जाने की जल्दी है लेकिन उसके बावजूद भी माननीय सदन पूरी तरह से भरा हुआ है। इसके लिए भी मैं माननीय विधायकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। विधानसभा सचिवालय का भी आभार जिन्होंने हमारे कहने पर और आपकी मांग पर लगातार दिन-रात काम किया; सभी को सूचनाएं उपलब्ध करवाईं, ऑन-लाईन करवाईं, ऑफ-लाईन भी करवाईं और हार्ड कॉपीज़ भी उपलब्ध करवाईं।

इस बार हमारे सचिव का पहला विधान सभा सत्र रहा। अपने नए सचिव को भी हम इस बात के लिए बधाई देना चाहेंगे।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय, सचिवालय के समस्त अधिकारी- मुख्य सचिव से लेकर कर्मचारी तक, प्रिंट और इलॉक्ट्रानिक मीडिया जिन्होंने लगातार यहां से ख़बरों का प्रसारण पूरे प्रदेश में किया, मैं उनका भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

अनेक विषय आए और सदस्य अपने-अपने विषय उठाना चाहते थे। लेकिन समय की तंगी और नियमों की परिधि थी और अनेक सदस्यों को ऐसा लगा होगा कि शायद उनके और विषय आने चाहिए या उनको प्रश्नों में और अधिक जगह मिलनी चाहिए। हमने प्रयास किया कि हम अधिकतम सदस्यों को अकॅमोडेट कर सकें। फिर भी हमारे व्यवहार के कारण या समय की तंगी के कारण किसी के विषय नहीं आए या हमारे द्वारा कहा गया कोई शब्द किसी को अनुचित लगा हो तो मैं इस सदन में उन सबसे क्षमा-याचना करना चाहूंगा कोई भी सदस्य हमारी किसी बात को अन्यथा न ले क्योंकि सदन के संचालन के लिए जिस दायित्व पर आपने बैठाया है, वहां रहते हुए

कोई-न-कोई हार्श बात हमारे द्वारा हुई होगी तो उसको मैं वापस भी लूंगा और उस पर खेद भी व्यक्त करना चाहूंगा।

इस सदन के पूर्व में जो हमारे उपाध्यक्ष रहे, उनको आज कोई बात सही नहीं लगी। उनको अगर कोई बात ठीक न लगी हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। सच में यह लोकतंत्र की खूबी है। हम सब लोगों ने मिलकर एक नई परम्परा कायम की है और सातों-के-सात दिन पूरे समय तक काम करके एक नया अध्याय रचा है। मैं उसके लिए नेता सदन श्री जय राम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सभी मंत्रिगणों, उपाध्यक्ष और विधायकगणों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा आने वाला सत्र भी बेहतरीन होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी शुभ-कामनाएं दी हैं। अगले सत्र से पहले अनेकों त्योहार आने वाले हैं। को जन्माष्टमी का त्योहार है, फिर नवरात्रे हैं और उसके बाद दशहरा, दीपावली और भाईदूज हैं, यानी ये पूरा त्योहारों का सीजन है। मैं भी सभी माननीय सदस्यों और प्रदेशवासियों को इन त्योहारों के लिए बहुत-बहुत शुभ-कामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो फिर दोबारा प्रदेशहित के मसलों के ऊपर बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे।"

(**राष्ट्रीय गीत गाया गया।**)

(04.55 **बजे सायं सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।**)

(**डॉ0 राजीव बिन्दल**)
अध्यक्ष

(**यशपाल शर्मा**)
सचिव